



देवेन्द्र कुमार

माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

असिस्टेंट प्रोफेसर- एम0 एड0, इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0), भारत

Received- 18.11. 2021, Revised- 23.11. 2021, Accepted - 27.11.2021 E-mail: devendrakumarnimesh@gmail.com

सांक्षेपः बालक किसी भी देश या समाज की महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हैं। वे भावी पीढ़ी के नागरिक होते हैं अतः उनकी समुचित सुरक्षा, लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा व उनके पर्याप्त विकास का उत्तरदायित्व राष्ट्र तथा अभिभावकों पर होता है। कालान्तर में ये बालक देश के निर्माण व राष्ट्र के उत्थान के आधार स्तम्भ होते हैं। इसी सन्दर्भ में पं० जवाहर लाल नेहरू का कथन है- 'यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जायेगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? देश में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और मैं यह कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी राज्य का कर्तव्य है।' भारतीय सन्दर्भ में सबके लिए शिक्षा का सिद्धान्त भौतिक व आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा बालक को सुसंस्कृत एवं आदर्श नागरिक बनाने का श्रेष्ठ माध्यम है। यह मानव की संवेदनशीलता और दृष्टि में निखार लाती है। इससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक विधियों के अनुसरण की संभावना बढ़ती है तथा अवबोध एवं चिन्तन में स्वतन्त्रता आती है, साथ ही शिक्षा भारतीय संविधान में उल्लिखित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यकतानुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान एवं विकास को सम्बल मिलता है जो आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के 21ए अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि- "सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

कुंजीभूत शब्द- समुचित सुरक्षा, लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा, विकास का उत्तरदायित्व, अभिभावकों, कालान्तर, प्रेरण।

शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण का एक श्रेष्ठ साधन है। यह जीवन को व्यावहारिक धरातल प्रदान करती है। यह सामान्य जन के जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है। इस प्रकार शिक्षा केवल किसी व्यक्ति की जीवन स्थिति को उठाने का साधन ही नहीं वरन् यह किसी समूह अथवा समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी द्योतक है। इसलिए आज भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, वर्ग या जाति को क्यों न हो।

बालक की शिक्षा में घर का शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व परिवार के सदस्यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्व रखते हैं। बालक के छात्र जीवन में ये मूल्य उसे प्रेरणा देते हैं तथा अध्ययन में रुचि उत्पन्न करते हैं। अन्य शब्दों में बालक का शैक्षिक निष्पादन घर में मिलने वाले प्रोत्साहन, प्रेरणा व अपेक्षा का ही परिणाम होता है। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि वर्तमान में सभी जाति, वर्ग में विद्यार्थियों के दो समूह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रथम उन व्यक्तियों या विद्यार्थियों के परिवारों का समूह जो विशिष्ट सुविधाओं से सम्पन्न है। ऐसा समूह शिक्षित है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं उच्च पदों पर आसीन है तथा पीढ़ियों से शिक्षा प्राप्त करने की परम्परा है। इस वर्ग में माई-बहन यहां तक कि बाबा-दादी व माता-पिता भी पहले से शिक्षित होते हैं। शिक्षित होने के कारण जीवन में शिक्षा के महत्व को समझते हैं। परिणाम स्वरूप अपने बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करने तथा अधिक प्रयत्न करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न तथा प्रोत्साहित करते हैं और समय-समय पर शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करके बच्चों को लाभान्वित करते हैं।

अन्य शब्दों में इस वर्ग के विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण अधिक प्रेरक और सुविधाजनक होता है। द्वितीय समूह उन विद्यार्थियों का है जिनके माता-पिता अभी भी अशिक्षित हैं या बहुत ही कम शैक्षित एवं विपन्न हैं। वे अपने बच्चों को आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं को प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। ये विद्यार्थी बिना किसी प्रेरणा के विद्यालय में प्रवेश करते हैं। अर्थात् ये विद्यालयी जीवन बिताने हेतु कम तैयार होते हैं। अशिक्षित माता-पिता होने के कारण ये विद्यार्थी शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं तथा शैक्षिक सुविधाओं के बारे में लाभ प्राप्त नहीं कर पाते परिणामस्वरूप ये सुविधाओं से वंचित रहते हैं और परिवार में किसी प्रकार के शैक्षिक निर्देशन से भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं तथा न ही सीखने के लिए किसी भी तरह की कोई प्रेरणा होती है। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा के अपव्यय व अवरोधन के शिकार होते हैं।

संभवतः इस अन्तर के कारण ही इन दोनों वर्गों के शिक्षार्थियों के कार्यकलापों, विशेषताओं तथा निष्पादन में अन्तर



परिलक्षित होता है। ऐसे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा उनकी समस्याओं से संबंधित कुछ अध्ययन भारतीय परिस्थितियों में सम्पन्न किए गए हैं। यथा— कुमार एवं मुरलीधरन 1979, श्रीवास्तव एवं सिमहादरी 1979, मेहता एवं अन्य 1980, मेहता एवं सारस्वत 1984, मलिक 1984, कोठारी 1984 आदि इन अध्ययनों के परिणाम दर्शाते हैं कि पैतृक शिक्षा का अभाव आधारभूत व्यक्तित्व प्रक्रियाओं को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है।

अध्ययन का औचित्य एवं महत्व— 2011 की जनगणना के अनुसार भारत व उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्रमशः 121 तथा 20 करोड. है। साक्षरता दरों के सन्दर्भ में अध्ययन करने से विदित होता है कि भारत व उत्तर प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 74 व 69.72 था। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत भारत व उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 64.80 तथा 56.30 था। इन आकड़ों से विदित होता है कि 2001-2011 के दशक में समस्त जनसंख्या की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सकल जनसंख्या की तुलना में साक्षरता प्रतिशत अभी भी कम है।

अतः साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने, निरक्षरता को समूल नष्ट करने, एक उचित व्यापक शैक्षिक वातावरण निर्मित करने एवं सभी वर्गों के सन्तुलित विकास हेतु छात्रों के पारिवारिक वातावरण को ध्यान में रखकर सभी जाति वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी छात्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाए जिससे इन समस्याओं को दूर करने अथवा कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

वर्तमान शोध अध्ययन का महत्व उन विशिष्ट शिक्षा शास्त्रियों, प्रशासकों, सलाहकारों और अध्यापकों के लिए उपयोगी होंगे जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उच्च विद्वतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के विद्यार्थियों को प्रेरित करने में रुचि रखते हैं।

शैक्षिक क्षेत्र में अध्ययन करना अपव्यय, निराशाओं और कुंठाओं को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के कथन “जब तक एक भी आंख में आंसू है, हमारा काम अधूरा है” में दिये मूलभाव को पूर्ण करने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है।

1.6 अध्ययन के उद्देश्य — 1 अनुसूचित जाति, सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी के विद्यार्थियों की प्रतिशतता का अध्ययन करना।

2 अनुसूचित जाति, सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के परिवार के शैक्षिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन।

1.7 परिकल्पनायें — 1 अनुसूचित जाति, सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी शिक्षार्थियों की प्रतिशतता में कोई अन्तर नहीं है।

2 अनुसूचित जाति, सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के परिवार के शैक्षिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर में कोई अन्तर नहीं है।

प्रतिदर्श का चयन:— प्रस्तुत अध्ययन में यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श का चयन दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में मोदीनगर शहर के माध्यमिक विद्यालयों को चुना गया जिनमें नानक चन्द जनता इन्टर कॉलेज सौन्दा, मोदीनगर, जनता इन्टर कॉलेज पतला, मोदीनगर, महर्षि दयानन्द इन्टर कॉलेज गोविन्दपुरी मोदीनगर तथा श्री कृष्णा इन्टर कॉलेज निवाड़ी, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को यादृच्छिक विधि से न्यादर्श के रूप में चुना गया। द्वितीय चरण में इन चुने हुए तीन विद्यालयों में कक्षा वर्ग को इकाई मानकर कक्षा -11 के छात्रों के दो-दो वर्ग लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार न्यादर्श में चयनित स्कूलों के कुल 200 विद्यार्थियों को लिया गया।

प्रदत्तों का विशलेषण एवं व्याख्या:— शोध कार्य के मध्य विभिन्न उपकरणों के द्वारा संकलित प्रदत्त चाहे कितने वैध एवं उपयुक्त ही क्यों न हो अव्यवस्थित रहते हैं उनसे निश्चित परिणाम प्राप्त करने तथा उपयोगी कार्य में प्रयुक्त करने से पूर्व वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे विशलेषित प्रदत्तों के आधार पर उनकी व्यवस्था की जा सके।

प्रस्तुत शोध में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों की क्या स्थिति है? यह अध्ययन करने के लिए छात्रों की स्थिति का उनकी शैक्षिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर के परिपेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणामों की विवेचना निम्न शीर्षानुसार की गयी है—

1 शैक्षिक स्तर के सन्दर्भ में सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों की स्थिति का अध्ययन।

2 सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन।



तालिका 1 सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत :-

जाति पीढ़ी	प्रथम शिक्षित पीढ़ी	द्वितीय शिक्षित पीढ़ी	तृतीय शिक्षित पीढ़ी	कुल योग
सामान्य	05(8.6%)	22(33.9%)	31(53.4%)	58
पिछड़ी	15(28.8%)	27(51.1%)	10(19.2%)	52
अनु० जाति	22(31.4%)	32(45.7%)	16(22.8%)	70
योग	42(23.3%)	81(45%)	57(26.1%)	180

उपर्युक्त तालिका का गहन अध्ययन करने से विदित होता है कि माध्यमिक स्तर पर सामान्य जाति के प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे कम मात्र (8.6%) है और इसी वर्ग के द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों को प्रतिशत (33.9%) है जबकि इसी वर्ग के तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक (53.4%) है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत (28.8%) है जबकि इसी वर्ग के द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक (51.9%) है और तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे कम (19.2%) है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक (31.4%) है जबकि इसी वर्ग के द्वितीय शिक्षित पीढ़ी एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत क्रमशः (47.7% व 22.8%) है। अन्य शब्दों में सामान्य जाति वर्ग की तुलना में पिछड़ी जाति वर्ग के प्रथम शिक्षित पीढ़ी व द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है और तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से बहुत कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम व द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सामान्य जाति की अपेक्षाकृत अधिक है और तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के प्रथम व तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत पिछड़ी जाति के प्रथम व तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों की अपेक्षाकृत अधिक है और द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत पिछड़ी जाति वर्ग के छात्रों की अपेक्षाकृत कम है।

निष्कर्ष एवं विवेचना :- शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर सामान्य जाति, पिछड़ी जाति एवं अनु० जाति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों के प्रतिशत में अन्तर परिलक्षित होता है।

सामान्य वर्ग के प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे कम है तथा इसी वर्ग के तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सामान्य जाति वर्ग के तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक होने का प्रमुख कारण इस वर्ग का पूर्व पीढ़ियों से निरन्तर शिक्षा प्राप्त करना तथा सशक्त सामाजिक-आर्थिक स्तर का होना है। इस कारण इस वर्ग में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा शिक्षा से संबंधित कोई समस्या न होने के कारण यह वर्ग बिना किसी अवरोध के अध्ययन करते रहे हैं। पिछड़ी जाति वर्ग द्वितीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया जबकि इसी वर्ग में तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सबसे कम पाया गया है। इसका सम्भावित कारण यह हो सकता है कि पिछड़ी जाति के छात्रों के अभिभावकों की गत पीढ़ियां सामाजिक-आर्थिक रूप से हीन होने तथा पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण ही शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रही है। परन्तु वर्तमान में शिक्षा का महत्व समझने के फलस्वरूप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को विद्यालय अध्ययन हेतु भेजने में रुचि लेने लगे हैं। इसलिये ही पिछड़ी जाति के प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

अनु० जाति वर्ग में तृतीय शिक्षित पीढ़ी के छात्रों का प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के छात्रों की तुलना में कम पाया गया है जबकि अनु० जाति के ही प्रथम शिक्षित पीढ़ी के विद्यार्थियों का प्रतिशत सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक पाया गया है। इसका सम्भावित कारण यह हो सकता है कि अनु० जाति वर्ग की शिक्षा पर सरकार द्वारा अधिक बल दिये जाने तथा इस वर्ग में जागरूकता उत्पन्न होने के कारण अब बहुत से माता-पिता इस बात को स्वीकारने में लगे हैं कि शिक्षित होना केवल प्रतिष्ठा का ही सूचक नहीं है वरन् इससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है। इसलिये बहुत से उन माता-पिता ने जो स्वयं कभी विद्यालय नहीं गये अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया है इससे प्रथम शिक्षित पीढ़ी के छात्रों की प्रतिशतता बढ़ी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू : "रिसर्च इन एजुकेशन" न्यू देहली, विले ईस्टर्न प्राईवेट लिमिटेड, 1959.
2. बुच, एम० बी० : "फोर्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च" प्रथम एवं द्वितीय वोल्यू एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा (महाराष्ट्र) 1983-88.
3. यंग, पी० बी० : "सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च" बोम्बे एशिया पब्लिकेशन हाउस, 1966.



4. गैरेट, एच० ई० : स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलोजी एण्ड एजूकेशन, कल्याणी पब्लिषर्स लुधियाना, 1972.
5. सर्जेन्ट, एस० एस० : "सोशल साइकोलोजी (रिवाइज्ड एडीशन), न्यूयार्क रोनाल्ड प्रैस।
6. पारसनाथ राय एवं सुरेश भटनागर : "अनुसंधान परिचय" लक्ष्मीनारायण हास्पिटल रोड, आगरा, 1974.
7. एस० पी० सुखिया एवं : वी० पी० मल्होत्रा "शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1970.
8. एच० के कपिल : "सांख्यिकी के मूल आधार", विनोद पुस्तक मन्दिर।
9. त्यागी एवं पाठक : "शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 19वां सं०-1993.
10. पी० डी० पाठक : "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-11 वां सं०-1992.
11. चौबे, डा० सरयू प्रसाद : "शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-1972.
12. रावत, प्यारेलाल : "भारतीय शिक्षा का इतिहास" आगरा रामप्रसाद एण्ड सन्स, 1969.
13. पाण्डेय, डा० रामशकल : "भारतीय शिक्षा की समस्याएं" आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल-1960.
